JALAUN POLICE

**दिनांक – 06.09.2025**

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।**

**जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में 04 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्तगण **01. रहीश यादव पुत्र हीरालाल यादव नि0ग्राम परा थाना पलेरा जनपद टीकमगढ मध्य प्रदेश 02. विवेक यादव पुत्र पारथ सिंह यादव निवासी ग्राम भुजौद थाना मोठ जनपद झांसी** के कब्जे से अवैध गांजा व एक अदद कार बरामद होने के संबन्ध में दिनांक 09.07.2024 को थाना रेढ़र में मु0अ0सं0 69/24(वाद संख्या 17/24) धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तगण को दिनांक 09.07.2024 को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 03.09.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.09.2025 को मा0 न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण रहीश यादव व विवेक यादव को दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष का कारावास एवं 200,000-200,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय– अभियुक्तगण **01. सुनील कुमार मिश्रा उर्फ रामलाल 02. सुशील कुमार मिश्र उर्फ छुनो पुत्रगण** स्व0 वासुदेव निवासी ग्राम नैनपुरा कोतवाली जालौन जनपद जालौन द्वारा वादी के साथ मारपीट करना व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज करना। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री सुरेश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री छोटे लाल निवासी ग्राम नैनपुरा कोतवाली जालौन जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर दिनांक 27.04.2020 को कोतवाली जालौन में मु0अ0सं0 207/2020 (वाद संख्या 50/21) धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 19.05.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.09.2025 को मान0 न्यायालय एससी एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 01. सुनील कुमार उर्फ रामलाल 02. सुशील कुमार मिश्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए 02-02 वर्ष का कारावास एवं 4,000-4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।